अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

आगंनबाड़ी अपील वाद संख्याः 199/2012

अनिता देवी — अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य — रेस्पोण्डेन्ट्स

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत अपील वाद अनिता देवी द्वारा दायर विविध वाद संख्याः 59/11 में समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 14.05.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दायर किया गया है।

प्रस्तुत अपील वाद में संक्षेप में मामला यह है कि कल्याण निदेशालय, विहार, पटना के ज्ञापांक 2783 दिनांक 03.10.2006 में दिए गये निदेश के अनुपालन में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सत्तरकटैया के पत्रांक 11 दिनांक 05.03.2007 द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र, साहू टोला, बिहरा की आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के चयन हेतु मुखिया की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन दिनांकः 02.04.2007 को किया गया। जिसमें चयन समिति के सदस्यों के साथ उस क्षेत्र के लाभार्थियों ने भी भाग लिया।

उक्त आम सभा में अपीलार्थी अनिता देवी एवं विपक्षी ममता कुमारी ने सेविका सहायिका पद हेतु आवेदन समर्पित किया गया। अपीलार्थी का प्राप्तांक 53.4 प्रतिशत था जबकि विपक्षी ममता कुमारी का प्राप्तांक 54.7 : था। इस प्रकार मेधा सूची में विपक्षी ममता कुमारी का नाम पहले स्थान पर था।

अपीलार्थी अनिता देवी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं तकनीकी रूप से भूलवश इनका नाम वार्ड नं० 9 में दर्ज था वो इनके सास ससुर श्री भेरव साह का नाम आंगनबाड़ी केन्द्र गंगौरा वार्ड नं0 3,4 में मैपिंग पंजी में दर्ज है । अपीलार्थी वार्ड नं० 3 की स्थायी निवासी पायी गयी थी। इस प्रकार मेघा सूची में पहला नाम श्रीमति ममता कुमारी पति विनय कुमार ठाकुर आते थे वो चयन हेतु निर्धारित अन्य सारी शर्तों को पुरा करने के कारण सेविका के रूप में चयन किया गया।

ममता कुमारी के के तरफ से आरोप लगाया गया कि प्रावधान के मुताबिक बाहुल्य वर्ग से सेविका चयनित नहीं की गई। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने भी चयन को इसी विन्दु पर गलत कहा वो समाहर्त्ता के द्वारा पुनः चयन की प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा गया वो उक्त आलोक में ज्ञापांक 206 दिनांक 05.07.08 द्वारा सेविका पद से श्रीमति ममता कुमारी को चयनमुक्त किया गया जिसकी सम्पुष्टि उप निदेशक, कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा के

कार्यालय ज्ञापांक 154 दिनांक 31.03.09 द्वारा इसकी सम्पुष्टि की गयी । उक्त आदेश के विरूद्ध ममता कुमारी ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विपक्षी अनिता देवी को उनके पात्रता पर सुनने का मौका देते हुए संबंधित पक्षकारों को सुनकर तीन सप्ताह के अन्दर आदेश पारित करने हेतु निदेशित किया गया वो उक्त आलोक में ममता कुमारी के द्वारा समाहर्त्ता सहरसा के न्यायालय में अपील वाद संख्या 59/12 दाखिल किया गया। विभागीय मार्गदर्शिका 2006 के अनुसार बाहुल्य वर्ग से सेविका चयन किया जाना है, परन्तु पोषक क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा वर्ग होने के बावजूद ममता कुमारी का चयन किया गया जो सामान्य जाति की महिला हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र – साहू टोला, बिहरा में ऑगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का चयन विभागीय मार्गदर्शिका 2006 के अनुरूप नहीं किया गया है। अतएव ममता कुमारी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया वो विभागीय मार्गदर्शिका 2011 के अनुरूप ऑगनबाड़ी सेविका का चयन पुनः नये सिरे से करने हेतु आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 199/12 दायर किया गया वो ममता कुमारी द्वारा मिस० आंगनबाड़ी अपील वाद संख्याः 216/12 दायर किया गया। इस न्यायालय में दायर दोनों अपील जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.08 अंदर विविध अपील वाद संख्या 59/2010 के विरूद्ध दाखिल किया गया है। इस न्यायालय में दायर आंगनबाड़ी अपील वाद संख्या 216/12 में दिनांक 10.06.2013 को आदेश पारित किया जा चुका है कि " ***आम सभा में दो ही व्यक्ति उस पद के अभ्यर्थी थे और अन्य कोटि के लाभुकों के द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया था ऐसी परिस्थिति में सामान्य वर्ग की लाभुकों की नियुक्ति की जा सकती है और नियुक्ति बहुत पूर्व की है।***

अतः नैसर्गिक न्याय के दृष्टिकोण से अपीलकर्त्ता के चयन मुक्ति आदेश को विखंडित करते हुए प्रस्तुत अपीलवाद को मंजूर किया जाता है।"

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि उक्त केन्द्र के लिए सेविका पद पर चयन हेतु दो उम्मीदवार यथा ममता कुमारी पति विनय कुमार ठाकुर जो सामान्य जाति से आती है वो अनिता देवी पति बसन्त कुमार जो पिछड़ी जाति से आती है में से उक्त पंचायत के मुखिया द्वारा मनमाने ढंग से ममता कुमारी जो सामान्य जाति के उम्मीदवार थी को पिछड़ी जाति के पोषक क्षेत्र के सेविका पद पर चयनित कर लिया गया ।

आगे कथन करते हैं कि जॉच पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करते हुए विज्ञ जिला पदाधिकारी द्वारा ममता कुमारी को ज्ञापांक 206 दिनांक 05.07.08 द्वारा उनके चयन को रद्द कर दिया गया। ममता कुमारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसे खारिज करते हुए ज्ञापांक 154 दिनांक 30.03. 09 से आदेश संबंधितों को संसूचित किया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस के क्रम में आगे उपर्युक्त अंकित तथ्यों का कथन करते हुए अपीलार्थी को अनुतोष प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया।

दूसरी ओर रेस्पोण्डेन्ट के बहस के क्रम में रेस्पोण्डेन्ट के पक्ष में बहस करते हुए कथन करते हैं कि उक्त मामले पर इस न्यायालय के मिस० आंगनबाड़ी अपील वाद संख्याः 216/12 में आदेश पारित हो चुका है अतएवं अपीलार्थी के अपील वाद को खारिज योग्य बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल लिखित बहस के परिशीलन से इस न्यायालय को यह ज्ञात होता है कि उक्त आदेश के आलोक में रेस्पोंण्डेन्ट ममता कुमारी को reinstate किया जा चुका है और वे वर्तमान में उक्त केन्द्र पर कार्यरत हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात एवं रेस्पोण्डेन्ट के द्वारा दाखिल लिखित बहस का अवलोकन किया पाया कि इस न्यायालय में आंगनबाड़ी अपील वाद संख्याः 199/12 दायर किया गया वो ममता कुमारी द्वारा मिस० आंगनबाड़ी अपील वाद संख्याः

216/12 दायर किया गया। इस न्यायालय में दायर दोनों अपील जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा दिनांक 20.06.08 ई० अन्दर विविध अपील वाद संख्याः 59/2010 के विरूद्ध दाखिल किया गया। इस न्यायालय में दायर आंगनबाड़ी अपील वाद संख्याः 216/12 में दिनांक–10.06.2013 को आदेश पारित किया जा चुका है कि " *आम सभा में दो ही व्यक्ति उस पद के अभ्यर्थी थे और अन्य कोटि के लाभुकों के द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया था ऐसी परिस्थिति में सामान्य वर्ग की लाभुकों की नियुक्ति की जा सकती है और नियुक्ति बहुत पूर्व की है।*

अतः नैसर्गिक न्याय के दृष्टिकोण से अपीलकर्त्ता के चयन मुक्ति आदेश को विखंडित करते हुए प्रस्तुत अपीलवाद को मंजूर किया जाता है।"

उभय पक्षों के सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य एवं अभिलेख संख्या–216/2012 में वर्णित आदेश के समीक्षोपरात यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अनीता देवी बाहुल्य वर्ग अत्यन्त पिछड़ा श्रेणी का होने के बावजूद समान्य श्रेणी का किया गया है । निम्न न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.05.2012 में यह भी पाया है कि अनीता देवी वार्ड नं0 9 के स्थाई निवासी है इसे पोषक क्षेत्र के बाहर नहीं कहा जा सकता है । स्पष्टतः अभिलेख संख्या 216/2012 में किन परिस्थिति में निम्न न्याायालय के आदेश को विखंडित करने का कोई आधार नहीं बनता है । अपीलार्थी अनीता देवी द्वारा यह कहा गया है कि चूँकि विपक्षी ममता देवी प्रभावशाली व्यक्ति है एवं पुनः नये सिे से चयन किया जाता है तो वे मेधा बाहुल्लता के आधार पर उन्हे चयनित नहीं होने देगें । अतः उन्हें वर्तमान में मेधा सूची के आधार पर ही चयनित करने का आदेश दिया जाय ।

अतः सम्यक विचारोपरांत अपील वाद संख्या 216/2012 एवं 199/2012 को एक साथ निष्पादित नहीं करने के कारण ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है । अतः ऑगनबाड़ी विविध अपील वाद संख्या 216/2012 के दिनांक 10.06.2013 के आदेश को विलोपित करते हुए जिला पदाधिकरी द्वारा ऑगनबाड़ी अपील वाद 59/2010 –11 में दिनांक 14.05.2012 के पारित आदेश को बहाल किया जाता है एवं अनीता देवी के अपील आवेदन सं0 199/2012 को अस्वीकृत करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को नये सिरे से मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप चयन प्रकिया पूरा करने का आदेश दिया जाता है । इसके साथ अपील वाद सख्या 199/2012 एवं 216/2012 को एक साथ संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाता है ।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा